

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अप्रैल, 2003

संख्या का० आ० 55/ह० अ० 6/2003/धा० 55/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 55 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आयुक्त को, उक्त अधिनियम को प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी सहायतार्थ आबकारी तथा कराधान विभाग में कार्यरत कराधान निरीक्षकों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चन्द्र सिंह,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 7th April, 2003

No. S. O. 55/H. A. 6/2003/S. 55/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby authorizes the Commissioner to appoint the Taxation Inspectors working in the Excise and Taxation Department to assist him for carrying out the purposes of the said Act.

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.